संख्या-3 /2021-वे0आ0-1-380 /दस-2021-8(एम)/2016

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक, (बेसिक/माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉं तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2021**

विषय- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

कृपया वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2020-वे0आ0-1-314/दस-2020-8(एम)/2016, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कोविड-19 के संकट की स्थिति में भारत सरकार के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा मंहगाई भत्ते की विद्यमान दर 17 प्रतिशत से बढाकर 28 प्रतिशत कर दी है तथा इसका भुगतान माह जुलाई, 2021 से किये जाने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक मंहगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 जुलाई, 2021 के क्रम में राज्यपाल महोदया ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को निम्न शर्तों के अनुसार बढी दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :--

(1) दिनांक 01 जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 17 प्रतिशत की विद्यमान दर से बढाकर मूल वेतन के 28 प्रतिशत की दर से देय होगा। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17 प्रतिशत ही रहेगी।

(2) मंहगाई भते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2021 (माह अगस्त, 2021 का भुगतान माह सितम्बर, 2021 को देय) से नगद किया जायेगा। संशोधित दर पर मंहगाई भते की दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इसे दिनांक 31 जुलाई, 2022 के पूर्व भविष्य निधि खाते से नहीं निकाला जा सकेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय मंहगाई भते की दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/ नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। उक्त अवशेष की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी।

(3) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्तानुसार निर्णय लिये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 31 जुलाई, 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको देय मंहगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/ दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 एवं शासनादेश संख्या-4/2017-वे0आ0-1-361/दस-2018-8(एम)/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर-4,5,6 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या-3/2021-वे0आ0-1-380(1)/दस-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
(8) रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, प्रयागराज।
(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियो सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।
(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सार्वजनिक उदयम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
(15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, पुनर्गठन समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner